राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमाक:–एफ24(869) NOC17-18/ बी.एड / आकाशि / 17 / 357 दिनांक:– 25.5.17

आदेश

एन.सी.टी.ई. के आदेश क्रमाकं NRC/NCTE/APP-16199/Recognition./B.Ed./269th Meeting (Part-7) /2017/173485 dated 02-05-2017 के अनुसरण में निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2017–18 के लिए **बी.एड. (2 वर्षीय पाठ्यक्रम)** के संचालन हेतु केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्द्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
2. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है,तो संबधित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
4. विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	जिला	सहशिक्षा / महिला	आवंटित सीट
1	**कनक कॉलेज ऑफ एजूकेशन, ग्राम–सराधना, तहसील–रायपुर, जिला–पाली ।**	**पाली**	**सहशिक्षा**	100 (2 यूनिट)

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव,अति0मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।
4. संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5. समन्वयक, बी.एड., बी.ए. बी.एड. / बी.एससी. 2017 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मान्यता पत्र के बिन्दू 4 / 5 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
7. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग,जयपुर।
8. परियोजना अधिकारी,राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय,जयपुर।
9. सचिव / प्राचार्य, कनक कॉलेज ऑफ एजूकेशन,ग्राम–सराधना, तहसील–रायपुर, जिला–पाली ।
10. प्रभारी वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।